केंद्रीय सूचना आयोग ने कहा

सीबीएसई शुल्क वसूलने के साथ परिपत्र में संशोधन करे

नई दिल्ली, 6 सितंबर (भाषा)।

केंद्रीय सूचना आयोग (सीआइसी) ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) को निर्देश दिया है कि सूचना का अधिकार (आरटीआइ) अधिनियम के तहत मांगी गई उत्तर पुस्तिकाओं की प्रतियां उपलब्ध कराते समय छाया प्रति का शुल्क केवल आरटीआइ नियम, 2012 में निर्धारित दर के अनुसार लिया जाए।

आयोग ने यह भी सिफारिश की है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 19 मई, 2025 के अपने परिपत्र में संशोधन करे। आयोग ने यह पाया कि सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत उत्तर पुस्तिकाएं प्राप्त करने के बाद उम्मीदवारों को पुनर्मूल्यांकन की मांग करने से रोकने वाला प्रावधान, पारदर्शिता संबंधी कानून की मूल भावना के अनुरूप नहीं है।

> **परीक्षार्थी** ने आरटीआइ अधिनियम के तहत अपनी उत्तर पुस्तिकाओं की छाया प्रति मांगी थी।

यह मामला सीबीएसई की कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा के एक परीक्षार्थी द्वारा दायर आरटीआइ आवेदन से सामने आया। परीक्षार्थी ने आरटीआइ अधिनियम के तहत अपनी उत्तर पुस्तिकाओं की छाया प्रति मांगी थी और उसने नियमित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया की अधिक लागत का हवाला दिया था।

उसने दसवीं कक्षा से संबंधित गणित (स्टैंडर्ड) के सेट-तीन के प्रश्नपत्र की कठिनाई के स्तर, माडरेशन नीति के क्रियान्वयन और अंकों में की गई कटौती को लेकर भी चिंता जताई थी। आवेदन के अनुसार, पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया में पांच विषयों की उत्तर पुस्तिकाओं की छाया प्रति के लिए 2,500 रुपए, अंकों के पुनः सत्यापन के लिए 2,500 रुपए और प्रत्येक प्रश्न के लिए 100 रुपए शुल्क लिया जाता था। इस तरह कुल खर्च 10,000 रुपए तक पहुंच सकता था।

जम्मू-कश्मीर के डोडा में दो महीने के लिए वीपीएन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध

डोडा/जम्मू, 6 सितंबर (भाषा)।

जम्मू-कश्मीर के डोडा जिले में साइबर सुरक्षा, गैरकानूनी गतिविधियों की रोकथाम और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने का हवाला देते हुए वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (वीपीएन) के इस्तेमाल पर दो महीने के लिए पूरी तरह रोक लगा दी गई है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

हाल में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत जारी एक आदेश में डोडा के जिला मजिस्ट्रेट कृष्ण लाल ने कहा कि कुछ व्यक्ति और समूह कथित तौर पर वीपीएन का गलत इस्तेमाल करके कानूनी साइबर प्रतिबंधों को दरकिनार कर रहे हैं और प्रतिबंधित एप्लीकेशन, वेबसाइट व डिजिटल सामग्री तक पहुंच बना रहे हैं। उन्होंने कहा, ऐसी गतिविधियों का इस्तेमाल गैरकानूनी और राष्ट्र विरोधी कृत्यों के लिए किया जा सकता है, जिनमें अशांति फैलाना, भड़काऊ सामग्री का प्रसार करना और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए नुकसानदायक गतिविधियां शामिल हैं। लाल ने बताया कि वीपीएन सेवाओं के दुरुपयोग से सार्वजनिक शांति व राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरे को देखते हुए निवारक उपाय के रूप में तत्काल यह प्रतिबंध लगाया गया है। पांच सितंबर को जारी आदेश में कहा गया है कि यह प्रतिबंध डोडा में काम कर रहे लोगों, संस्थानों, साइबर कैफे, कारोबारी इकाइयों और इंटरनेट सेवा प्रदाताओं पर लागू होगा।

उन मामलों में छूट होगी, जहां सरकार ने आधिकारिक आदेशों के जरिए वीपीएन के इस्तेमाल को स्पष्ट रूप से मंजूरी दी है। आदेश में चेतावनी दी गई है कि निर्देशों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कानून के संबंधित प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।

सिद्धरमैया ने दलितों, पिछड़ों व अल्पसंख्यकों के लिए 75 फीसद आरक्षण की मांग की

बंगलुरु, 6 सितंबर (भाषा)।

कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने रविवार को दलितों, पिछड़े समुदायों तथा अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण बढ़ाकर 75 प्रतिशत करने की मांग की। उन्होंने कहा, आबादी के आधार पर समान अवसर दिए बिना समतामूलक समाज का निर्माण नहीं हो सकता।

सिद्धरमैया ने कहा कि उनके मुख्यमंत्रित्व काल के दौरान कराए गए जाति सर्वेक्षण लागू किया जाना चाहिए। यहां कर्नाटक राज्य पिछड़ा वर्ग महासंघ के रजत जयंती समारोह को संबोधित करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिद्धरमैया ने कहा कि जाति सर्वेक्षण की रिपोर्ट लागू की जानी चाहिए और प्रत्येक समुदाय की आबादी के अनुपात में आरक्षण दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, यदि आप सभी को सामाजिक न्याय मिलने की बात की जाए, तो कम से कम 75 प्रतिशत आरक्षण होना चाहिए।

पंजाब नैशनल बैंक ....भरोसे का प्रतीक | punjab national bank ...the name you can BANK upon! (A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING)

एआरएमबीः पश्चिम दिल्ली, दूसरी मंजिल, विक्रांत टावर, राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली – 110008
ईमेल– cs8334@pnb.bank.in

अचल सम्पत्तियों की ई–नीलामी हेतु बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई–नीलामी विक्रय नोटिस,

आम जनता को और विशेष रूप से कर्जदार और गारंटर्स को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्तियां जो प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक / प्रभारित है, का सांकेतिक / वास्तविक कब्जा(नीचे वर्णित अनुसार), प्रतिभूत लेनदार पंजाब नेशनल बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है" के आधार पर बेचा जाएगा। बकाया राशि की वसूली, कर्जदार(रों) और गारंटर(रों), आरक्षित मूल्य और धरोहर राशि का विवरण नीचे दी गई तालिका के अनुसार

प्रत्याभूत परिसम्पत्तियों की बिक्री की अनुसूची

क्र. सं.	शाखा का नाम / खाते का नाम / कर्जदार/गारंटर्स खाते का नाम एवं पता	क) सरफासी अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना की तिथि / ख) दिनांक के अनुसार बकाया राशि / ग) सरफासी अधिनियम 2002 की धारा 13(4) के अंतर्गत कब्जा की तिथि / घ) कब्जा की स्थिति सांकेतिक/भौतिक/रचनात्मक	अचल बंधक सम्पत्तियों का विवरण / स्वामित्व का नाम (बंधक सम्पत्तियाँ)	आरक्षित मूल्य / ईएमडी / बोली वृद्धि राशि	नीलामी की तिथि एवं समय	सुरक्षित लेनदारों को ज्ञात एन्कम्ब्रेन्स का विवरण
1	एआरएमबी पश्चिमी दिल्ली **मैसर्स डेटेक डिवाइसेस प्राइवेट लिमिटेड (अपने निदेशकों अर्थात् श्रीमती अलका बिंदल एवं श्री एंट्रिक्स बिंदल के माध्यम से)** **पंजीकृत कार्यालयः** C 6, ब्लॉक C, मानसरोवर गार्डन, नई दिल्ली–110015, **इसके अलावाः** F 274B, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चोपांकी, भिवाडी, जिला अलवर, राजस्थान–301019 **श्रीमती अलका बिंदल (निदेशक / गारंटर, मैसर्स डेटेक डिवाइसेस प्राइवेट लिमिटेड)** F–139, मानसरोवर गार्डन, नई दिल्ली–110015 **इसके अलावाः** C 6, ब्लॉक C, मानसरोवर गार्डन, नई दिल्ली–110015, **इसके अतिरिक्तः** F 274B, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चोपांकी, भिवाडी, जिला अलवर, राजस्थान–301019 **श्री एंट्रिक्स बिंदल (निदेशक / गारंटर, मैसर्स डेटेक डिवाइसेस प्राइवेट लिमिटेड)** F–139, मानसरोवर गार्डन, नई दिल्ली–110015 **इसके अलावाः** C 6, ब्लॉक C, मानसरोवर गार्डन, नई दिल्ली–110015, **इसके अलावाः** F 274B, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चोपांकी, भिवाडी, जिला अलवर, राजस्थान–301019	क) 08.07.2024 ख) रु. 4,45,33,181.29 /– साथ ही आगे का ब्याज और शुल्क ग) 03.10.2024 घ) भौतिक	सी–6, मानसरोवर गार्डन, नई दिल्ली–110015 स्थित संपत्ति, जिसका क्षेत्रफल 266.66 वर्ग गज है, श्रीमती अलका बिंदल के नाम पर दर्ज है। **चौहद्दीः–** **उत्तरः** प्रॉपर्टी नंबर सी 6 का हिस्सा, **दक्षिणः** प्रॉपर्टी नंबर सी 7, **पूर्व** : सर्विस लेन (सामने), **पश्चिमः** सड़क (पीछे)	रू. 6.37 करोड़ रू. 63,70,000/- रू. 1.00 लाख	24.09.2026 पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 04.00 बजे	एक याचिका संख्या (सिविल) 12272/2024, जिसका शीर्षक अलका बिंदल बनाम दिल्ली विकास प्राधिकरण है, माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है, जिसमें विषय–वस्तु संदर्भित बंधक संपत्ति से संबंधित है।
2.	एआरएमबी पश्चिमी दिल्ली **मैसर्स बेल डायमंड एल्युमिनियम प्राइवेट लिमिटेड (अपने निदेशक / प्राधिकृत प्रतिनिधियों नामतः सुहैल सिंह, नम्रता भाटिया, परविंदर सिंह भाटिया के माध्यम से)** 2747 / 6, दूसरी मंजिल, चूना मंडी, पहाड़गंज, मध्य दिल्ली, दिल्ली – 110055 **इसके अलावाः** एफ–27(ए), रीको औद्योगिक क्षेत्र, खुशखेड़ा, भिवाडी, अलवर, राजस्थान– 301019 **इसके अलावाः** जी1–127, रीको औद्योगिक क्षेत्र, खुशखेड़ा, भिवाडी, अलवर, राजस्थान–301019 **श्री सुहैल सिंह (निदेशक / गारंटायर, मेसर्स बेल डायमंड एल्युमिनियम प्राइवेट लिमिटेड)** मकान नंबर 99, संदेश विहार, पीतमपुरा, नई दिल्ली– 110034 **श्रीमती नम्रता भाटिया (निदेशक / गारंटायर, मैसर्स बेल डायमंड एल्युमिनियम प्राइवेट लिमिटेड)** मकान नंबर 99, संदेश विहार, पीतमपुरा, नई दिल्ली– 110034	क) 01.02.2025 ख) रु. 21,06,47,133.49/- साथ ही आगे का ब्याज और शुल्क ग) 30.05.2025 घ) सांकेतिक	1. सम्पूर्ण प्रथम तल, बिना छत के, निर्मित स्वतंत्र स्वामित्व वाली संपत्ति संख्या 99, जिसका क्षेत्रफल 155.94 वर्ग मीटर (186.53 वर्ग गज) है, जो पब्लिक सेक्टर (P&T) कर्मचारी सेंट्रल को–ऑपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी लिमिटेड की लेआउट योजना में स्थित है, जिसे संदेश विहार, पीतमपुरा, दिल्ली–110034 के नाम से जाना जाता है, जिसमें साझा मार्ग एवं सीढ़ियां तथा नीचे स्थित भूमि में 33% अविभाजित हिस्सा भी शामिल है। उक्त संपत्ति श्री परविंदर सिंह पुत्र श्री जगत सिंह के नाम पर पार्टिशन डीड संख्या 11588 दिनांक 01.08.2019 के माध्यम से है। **चौहद्दी : पूर्व : संपत्ति संख्या 100, पश्चिमः भूमि संपत्ति संख्या 98, उत्तरः 30 फीट चौड़ी सड़क दक्षिणः सर्विस लेन**	रू. 3.24 करोड़ रू. 32,40,000/- रू. 2.00 लाख	24.09.2026 पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 04.00 बजे	उधारकर्ता ने डीआरटी–2, दिल्ली में एसए नंबर 109 / 2026 दायर किया था।
	मैसर्स नीरा मेटल कंपनी अपनी प्रोपराइटर नामतः श्रीमती नम्रता भाटिया के माध्यम से (गारंटायर / बंधककर्ता, मैसर्स बेल डायमंड एल्युमिनियम प्राइवेट लिमिटेड) मकान नंबर 99, संदेश विहार, पीतमपुरा, नई दिल्ली– 110034 **इसके अलावाः** जी1–127, रीको औद्योगिक क्षेत्र, खुशखेड़ा, भिवाडी, अलवर, राजस्थान– 301019	क) 01.02.2025 ख) रु. 21,06,47,133.49/- साथ ही आगे का ब्याज और शुल्क ग) 30.05.2025 घ) सांकेतिक	2. औद्योगिक भूखंड संख्या G1–127, रीको औद्योगिक क्षेत्र ।। – डी, खुशखेड़ा, अलवर, राजस्थान में, कुल क्षेत्रफल 1000 वर्ग मीटर, जो बिक्री विलेख संख्या 202103111105213 दिनांक 25.10.2021 के तहत मैसर्स नीरा मेटल कंपनी (प्रोप्राइटर श्रीमती नम्रता भाटिया) के नाम पर दर्ज है। **चौहद्दीः– पूर्व : G1 – 126B, पश्चिमः G1 – 127, उत्तरः 24 मीटर चौड़ी सड़क, दक्षिणः G1 – 140, 141**	रू. 3.08 करोड़ रू. 30,80,000/- रू. 2.00 लाख		
	मैसर्स भाटिया ट्रेडिंग कंपनी अपने प्रोपराइटर नामतः श्री परविंदर सिंह भाटिया के माध्यम से (गारंटायर / बंधककर्ता, मैसर्स बेल डायमंड एल्युमिनियम प्राइवेट लिमिटेड) मकान नंबर 99, संदेश विहार, पीतमपुरा, नई दिल्ली– 110034 **इसके अलावाः** एफ–27(ए), रीको औद्योगिक क्षेत्र, खुशखेड़ा, भिवाडी, अलवर, राजस्थान– 301019 **श्री परविंदर सिंह भाटिया (निदेशक / गारंटायर, मैसर्स बेल डायमंड एल्युमिनियम प्राइवेट लिमिटेड)** मकान नंबर 99, संदेश विहार, पीतमपुरा, नई दिल्ली– 110034	क) 01.02.2025 ख) रु. 21,06,47,133.49/- साथ ही आगे का ब्याज और शुल्क ग) 30.05.2025 घ) सांकेतिक	3. इंडस्ट्रियल प्लॉट नंबर एफ–27(ए), रीको इंडस्ट्रियल एरिया खुशखेड़ा, तहसील तिजारा, जिला अलवर, राजस्थान में स्थित, जिसका कुल क्षेत्रफल 1877 वर्ग मीटर है, जो कि मैसर्स भाटिया ट्रेडिंग कंपनी (प्रोपराइटर श्री परविंदर सिंह भाटिया के माध्यम से) के नाम पर दस्तावेज संख्या 201803111101647, बुक नंबर 1, वॉल्यूम नंबर 526, पेज नंबर 47, दिनांक 12.04.2018 के तहत पंजीकृत है। **चौहद्दीः पूर्व : 18 मीटर चौड़ी सड़क, पश्चिमः SP30A, उत्तरः F27, दक्षिणः F28**	रू. 4.8862 करोड़ रू. 48,86,200/- रू. 2.00 लाख		

ई–नीलामी बिक्री के संक्षिप्त नियम एवं शर्तें : बिक्री, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 में वर्णित नियमों एवं शर्तों के अधीन होगी। 1. नीलामी बिक्री "ई–नीलामी" पोर्टल https://baanknet.com के माध्यम से ऑनलाइन होगी। (2) ई–नीलामी के लिए प्लेटफॉर्म (https://baanknet.com) ई–नीलामी सेवा प्रदाता मेसर्स पीएसबी एलायंस प्राइवेट लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय यूनिट 1, तीसरी मंजिल, VIOS कमर्शियल टॉवर, वडाला ट्रक टर्मिनल के पास, वडी ईस्ट मुंबई–400037 (हेल्पडेस्क नं. 91 8291220220, ईमेल आईडी: support.baanknet@baanknet.com) द्वारा प्रदान किया जाएगा। इच्छुक बोलीदाताओं / खरीदारों को ई–नीलामी सेवा प्रदाता की वेबसाइट https://baanknet.com पर ई–नीलामी प्रक्रिया में भाग लेना आवश्यक है। यह सेवा प्रदाता पोर्टल पर ई–नीलामी पर ऑनलाइन प्रदर्शन / प्रशिक्षण भी प्रदान करेगा। (3) बिक्री की सामान्य शर्तों और नियमों से युक्त बिक्री नोटिस निम्नलिखित वेबसाइटों / वेब पेज पोर्टल (1) https://baanknet.com (2) www.pnbindia.in पर उपलब्ध / प्रकाशित है। (4) सफल बोलीदाता द्वारा बैंक को बिक्री प्रतिफल का भुगतान आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194–1ए के अंतर्गत टीडीएस के अधीन होगा तथा सफल बोलीदाता द्वारा बोली राशि का शेष 75% जमा करने / बोली राशि की पूर्ण जमा करने के समय ही टीडीएस का भुगतान किया जाना है। (5) संपत्तियों को "जहां है जैसी है" और "जो है जैसी है" तथा "जो भी है जैसी है" के आधार पर बेचा जा रहा है। (6) उपरोक्त अनुसूची में निर्दिष्ट सुरक्षित परिसंपत्तियों का विवरण प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार बताया गया है, लेकिन प्राधिकृत अधिकारी इस घोषणा में किसी भी त्रुटि, गलत बयान या चूक के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। (7) सरफेसी अधिनियम की धारा 13(8) के तहत नोटिस, और सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के साथ सभी मामलों में जारी किया गया है. (8) बिक्री की विस्तृत शर्तों के लिए, कृपया https://baanknet.com, www.pnb.bank.in देखें।

सरफासी अधिनियम 2002 के नियम 8(6) के अंतर्गत बिक्री सूचना

प्रकाशन की तिथि : 07.09.2026 | स्थानः दिल्ली | प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नैशनल बैंक

पंजाब नैशनल बैंक ....भरोसे का प्रतीक | punjab national bank ...the name you can BANK upon! (A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING)

रिकवरी डिवीजन सर्किल ऑफिस ईस्ट दिल्ली
स्कोप टॉवर लक्ष्मी नगर, निकट निर्माण विहार मेट्रो स्टेशन
दिल्ली–110092, ई–मेल : coeastdelrec@pnb.co.in

अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल आस्तियों की बिक्री हेतु ई–नीलामी विक्रय सूचना।

एतद्वारा जनसामान्य को तथा विशेष रूप से कर्जदार(रों) एवं जमानती(यों) को सूचना दी जाती है कि प्रतिभूति क्रेडिटर के पास बंधक/प्रभारित नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति, जिसका रचनात्मक/भौतिक/सांकेतिक कब्जा बैंक/प्रतिभूत क्रेडिटर के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा कर लिया गया था, की बिक्री सम्बद्ध कर्जदार(रों) एवं जमानती(यों) से बैंक/प्रतिभूत क्रेडिटर के बकायों की वसूली हेतु नीचे तालिका में वर्णित तिथियों पर "जहाँ है वहाँ है", "जो है वही है" तथा "जो कुछ भी है वहीं है" आधार पर की जायेगी। आरक्षित मूल्य तथा जमा धरोहर राशि नीचे तालिका में सम्बन्धित सम्पत्तियों के सम्मुख उल्लिखित के अनुसार होगी।

प्रतिभूत आस्तियों की अनुसूची

क्र. सं.	शाखा का नाम / खाते का नाम / नाम एवं राशि कर्जदार/जमानती खाता का पता	A) सरफैसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत माँग सूचना की तिथि / B) मांग सूचना के अनुसार राशि / C) सरफैसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(4) के तहत कब्जा करने की तिथि / D) कब्जे की प्रकृति सांकेतिक/भौतिक/रचनात्मक	अचल सम्पत्तियों का विवरण बंधककर्ता/स्वामी का नाम [सम्पत्ति(यों) के बंधककर्ता]	आरक्षित मूल्य / ईएमडी (ईएमडी जमा करने की अन्तिम तिथि) / संविदा वृद्धि राशि	ई–नीलामी की तिथि/समय	प्रतिभूति क्रेडिटर के संज्ञान में ऋणभारों का विवरण अधिकृत प्राधिकारी का नाम एवं सम्पर्क नं.
1	**शा.का.: यमुना विहार, दिल्ली (225600)** **श्री प्रीतम सिंह पुत्र श्री जय राम सिंह (कर्जदार)** **पताः** मकान सं. आर–228, अंबेडकरबस्ती, घोंडा, दिल्ली। **साथ ही :** मकान सं. ए228अंबेडकर बस्ती घोंडा गढ़ हिमेंदु उत्तर पूर्वी दिल्ली1110053 **साथ ही :** मकान सं. ए228अंबेडकर बस्ती घोंडा गढ़ हिमेंदु उत्तर पूर्वी दिल्ली1110053 **साथ ही :** फ्लैट नं. जीएफ–3 प्लॉट नं. सी–9 ए/2, एलआईजी डीएलएफ अंकुर विहार, लोनी गाज़ियाबाद, उ.प्र. पर स्थित **श्रीमती मीनू पत्नी श्री प्रीतम सिंह (कर्जदार)** **पताः** मकान सं. आर–228, अंबेडकर बस्ती, घोंडा, दिल्ली। **साथ ही :** मकान सं. ए228अंबेडकर बस्ती घोंडा गढ़ी मेंडू उत्तर पूर्व दिल्ली1110053 **साथ ही :** फ्लैट नं. जीएफ–3 प्लॉट नं. सी–9 ए/2, एलआईजी डीएलएफ अंकुर विहार, लोनी गाज़ियाबाद, उ.प्र. पर स्थित	16.09.2022 रु. 5.33 लाख + पूर्ण एवं अन्तिम भुगतान तक भावी ब्याज, अन्य प्रभार तथा व्यय 10.03.2023 भौतिक	फ्लैट संख्या – जीएफ–3, पीछे की ओर (भूतल), प्लॉट संख्या सी–9, ए/2, एलआईजी, डीएलएफ, अंकुर विहार, सादुलाबाद, लोनी (छत के अधिकार के बिना), गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल 400.00 वर्ग फुट या 37.16 वर्ग मीटर है।	रु. 8.50 लाख रु. 0.85 लाख (24.09.2026) रु.5000/–	24.09.2026 को 11.00 बजे पूर्वा. से 04.00 बजे अप.	ज्ञात नहीं रितेश कुमार (मोबाइल नं. 9771905242) प्राधिकृत अधिकारी सर्किल कार्यालय पूर्वी दिल्ली
2	**शा.का.: मयूर विहार II (440800)** **श्री अनिल कुमार (कर्जदार)** **पताः** पुत्र – श्री युधिष्ठिर लाल फ्लैट संख्या – यूजीटी – 03, तीसरी मंजिल प्लॉट संख्या – 81, सेक्टर – 5, राजेंद्र नगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश **इसके अलावाः** मकान संख्या – 1/462 सेक्टर – 01, वैशाली, न्यायखंड – 03 गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश **श्री सुनील दत्त (गारंटर)** **पताः** श्री ब्रह्म दत्त के पुत्र, एम–202ए, संजय नगर, सेक्टर – 23, राज नगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश **श्री दिलीप सिंह चौहान (गारंटर)** **पताः** स्व. श्री के पुत्र धन सिंह क– 61, राजीव नगर, खोरा कॉलोनी, गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश	07.12.2023 रु. 2.27 लाख +पूर्ण एवं अन्तिम भुगतान तक भावी ब्याज, अन्य प्रभार तथा व्यय 30.05.2025 सांकेतिक	यूजीटी–03 में निर्मित लीजहोल्ड संपत्ति, शीर्ष मंजिल (बिना छत के अधिकार के), पिछला भाग, एमआईजी, प्लॉट संख्या – 5/81, आवासीय कॉलोनी, सेक्टर–5, राजेंद्र नगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, क्षेत्रफल 68.00 वर्ग मीटर। श्री अनिल कुमार के नाम पर, सीमाएं : पूर्व – प्लॉट संख्या 80, पश्चिम – प्लॉट संख्या 82, उत्तर – 60 फीट चौड़ी सड़क, दक्षिण – अन्य प्लॉट	रु. 28.00 लाख रु. 2.80 लाख (24.09.2026) रु.25000/–	24.09.2026 को 11.00 बजे पूर्वा. से 04.00 बजे अप.	ज्ञात नहीं रितेश कुमार (मोबाइल नं. 9771905242) प्राधिकृत अधिकारी सर्किल कार्यालय पूर्वी दिल्ली
3	**शा.का.: गांधी नगर (016100)** **श्रीमती मीनादेवी, पत्नी उमाशंकर,** फ्लैट नंबर–734सी, तीसरी मंजिल, न्याय खंड–3, इंदिरापुरम, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश–201014, **इसके अलावाः** जी –1 0 1, गाजीपुर, गाजीपुर, पूर्वी दिल्ली–110096, इसके अलावाः मकान नं.–8, धमौरांशिक, पुलिस स्टेशन – बहरिया, तहसील – फूलपुर, इलाहाबाद – 212501, **इसके अलावाः** केएपी सिल्वर लीजन प्राइवेट लिमिटेड, 41/4 साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र, साइट–4, उ.प्र.–201010	11.02.2026 रु. 10.09 लाख +पूर्ण एवं अन्तिम भुगतान तक भावी ब्याज, अन्य प्रभार तथा व्यय 24.04.2026 सांकेतिक	फ्लैट संख्या – 734सी (ईडब्ल्यूएस), तीसरी मंज़िल (बिना छत के अधिकार), न्याय खंड – 3, इंदिरापुरम, गाज़ियाबाद, उ.प्र. – 201014 पर स्थित संपत्ति। कवर्ड एरिया का माप 19.505 वर्ग मीटर है, जो श्रीमती मीना देवी (वाया उमाशंकर) के नाम पर है।	रु. 11.90 लाख रु. 1.19 लाख (24.09.2026) रु. 25000/–	24.09.2026 को 11.00 बजे पूर्वा. से 04.00 बजे अप.	ज्ञात नहीं रितेश कुमार (मोबाइल नं. 9771905242) प्राधिकृत अधिकारी सर्किल कार्यालय पूर्वी दिल्ली
4	**शा.का.: गांधी नगर (016100)** **श्रीमती अनुराधा (कर्जदार)** पत्नी श्री हरे राम मिश्रा **पताः** फ्लैट नं.–287सी, न्यायखंड, तीसरी मंजिल, इंदिरापुरम, गाजियाबाद, उ.प्र.– 201014 **इसके अलावाः** ग्राम–त्रिसुंडी, पोस्ट–रामगानु, पीपरपुर, अमेठी, उ.प्र.–228159 **इसके अलावाः** डी–42, प्रथम तल, सेक्टर–63, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर, उ.प्र.–201301	03.09.2025 रु. 10.52 लाख + भावी ब्याज, अन्य प्रभार तथा पूर्ण एवं अन्तिम भुगतान तक व्यय 16.01.2026 सांकेतिक	ईडब्ल्यूएस फ्लैट संख्या – 287 सी, तीसरी मंज़िल (छत के अधिकार के बिना), न्याय खंड–III, इंदिरापुरम, गाज़ियाबाद, उ.प्र.; श्रीमती अनुराधा (पत्नी श्री हरे राम मिश्रा) के नाम पर; जिसका कवर्ड एरिया 19.505 वर्ग मीटर है। जिसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं- पूर्व – मकान संख्या 282सी, पश्चिम – मकान संख्या 288सी उत्तर – मकान संख्या 286सी, दक्षिण – ब्लॉक	रु. 11.90 लाख रु. 1.19 लाख (24.09.2026) रु. 25000/–	24.09.2026 को 11.00 बजे पूर्वा. से 04.00 बजे अप.	ज्ञात नहीं रितेश कुमार (मोबाइल नं. 9771905242) प्राधिकृत अधिकारी सर्किल कार्यालय पूर्वी दिल्ली
5	**शा.का.: विवेक विहार, दिल्ली (184910)** **श्रीमती शालू राय (कर्जदार सह बंधककर्ता)** प्लॉट नं. सी1/65, एसएफ- क्क़ दूसरी मंजिल, ब्लॉक सी, डीएलएफ, दिलशाद एक्सटेंशन–II, गांव–ब्रह्मपुर उर्फ भोजपुरा परगना लोनी जिला गाजियाबाद, उ.प्र.। **साथ ही :** 299, मोहनपुर सिविल लाइन्स रूड़की, उत्तराखंड–247667 **साथ ही :** मकान नं. 283 डीडीए फ्लैट्स, न्यू सीमापुरी, दिल्ली–110095 **श्री सचिन (सह–कर्जदार), पता :** मकान नं. 283 डीडीए फ्लैट्स, न्यू सीमापुरी, दिल्ली–110095	28.09.2018 रु. .14.17 लाख + भावी ब्याज, अन्य प्रभार तथा पूर्ण एवं अन्तिम भुगतान तक व्यय 14.12.2018 (भौतिक)	फ्लैट नं. एस–2, द्वितय तल छत के अधिकार के साथ, प्लॉट संख्या सी–1/65, ब्लॉक–सी, डीएलएफ, दिलशाद एक्सटेंशन–क्क गांव- ब्रह्मपुर उर्फ भोपुरा परगना तहसील एवं जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में, माप 37.16 वर्ग मीटर (400 वर्ग फीट लगभग), श्रीमती शालू राय के नाम पर है।	रु. 11.05 लाख रु. 1.11 लाख (24.09.2026) रु. 25000/–	24.09.2026 को 11.00 बजे पूर्वा. से 04.00 बजे अप.	ज्ञात नहीं रितेश कुमार (मोबाइल नं. 9771905242) प्राधिकृत अधिकारी सर्किल कार्यालय पूर्वी दिल्ली
6	**शा.का.: यमुना विहार, दिल्ली (225600)** **मनीष कुमार (कर्जदार)** **पताः** 2307/8, ईई ब्लॉक, जहांगीर पुरी, दिल्ली–110033, इसके अलावा : फ्लैट नंबर एसएफ–4, द्वितीय तल, एलआईजी, प्लॉट नंबर बी–46, गंगा विहार कॉलोनी, गांव सादुल्लाबाद, परगना लोनी, तहसील एवं जिला– गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश **श्री रमेश चंद (सह–कर्जदार) पुत्र श्री नानवा राम,** 2307/8, ईई ब्लॉक, जहांगीर पुरी, दिल्ली–110033, इसके अलावा : फ्लैट नंबर एसएफ–4, द्वितीय तल, एलआईजी, प्लॉट नंबर बी–46, गंगा विहार कॉलोनी, गांव सादुल्लाबाद, परगना लोनी, तहसील और जिला– गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश	17.01.2017 रु. 12.82 लाख + अन्तिम एवं पूर्ण भुगतान तक भावी ब्याज, अन्य प्रभार तथा व्यय 17.04.2018 (भौतिक)	फ्लैट संख्या एसएफ–4, द्वितीय तल (छत अधिकार के बिना) एलआईजी, प्लॉट संख्या बी–46, गंगा विहार, कॉलोनी, गांव सादुल्लाबाद, परगना लोनी, तहसील और डिश- गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, 450 वर्ग फुट या 41.805 वर्ग मीटर क्षेत्रफल, श्री मनीष कुमार पुत्र श्री रमेश चंद के नाम पर	रु.10.51 लाख रु. 1.06 लाख (24.09.2026) रु. 25000/–	24.09.2026 को 11.00 बजे पूर्वा. से 04.00 बजे अप.	ज्ञात नहीं रितेश कुमार (मोबाइल नं. 9771905242) प्राधिकृत अधिकारी सर्किल कार्यालय पूर्वी दिल्ली

ई–नीलामी बिक्री के संक्षिप्त नियम एवं शर्तें :

बिक्री प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 में निर्धारित नियम एवं शर्तों तथा आगे निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी :

1. सम्पत्तियों की बिक्री "जहाँ है जैसे है", "जो है वही है" तथा "जो कुछ भी है वहीं है" आधार पर की जा रही है।
2. यहाँ ऊपर अनुसूची में निर्दिष्ट प्रतिभूत आस्तियों के विवरण अधिकृत प्राधिकारी की सर्वोत्तम सूचना के आधार पर बताये गये हैं, किन्तु अधिकृत प्राधिकारी इस उद्घोषणा में किसी त्रुटि, गलतबयानी अथवा विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
3. बिक्री वेबसाइट https://baanknet.com पर प्रावधानित ई–नीलामी प्लेटफार्म के माध्यम से नीलानी की उपर्युक्त तिथि एवं समय तक होगी।
4. बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए कृपया https://baanknet.com तथा www.pnbindia.in देखें।
5. सभी वैधानिक बकाया/परिचर प्रभार/पंजीकरण शुल्क, स्टांप शुल्क, कर आदि सहित अन्य बकाया क्रेता को वहन करना होगा और प्राधिकृत कार्यालय या बैंक किसी भी शुल्क, भार में ग्रहणाधिकार या सरकार या किसी अन्य को संपत्ति (ई–नीलामी) के संबंध में किसी अन्य बकाया के लिए जिम्मेदार नहीं होगा, जो बैंक को ज्ञात नहीं है, इच्छुक बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि वह वैधानिक देनदारियों, संपत्ति कर के बकाया, बिजली के बकाया आदि सहित संपत्ति पर ऋणभार के बारे में स्वतंत्र जांच करें।

सरफैसी अधिनियम, 2002 के नियम 8(6) के तहत सांविधिक बिक्री सूचना

दिनांक : 07.09.2026 स्थान : नई दिल्ली | अधिकृत प्राधिकारी, पंजाब नेशनल बैंक